(32)

पत्रांक - 37 (4)
20.11.2021

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

विषय :– झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, राँची के द्वारा सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को सरकारी रक्त केन्द्रों के माध्यम से निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराने के संबंध में।

1. झारखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति के द्वारा निम्न वर्णित तथ्य विभाग के संज्ञान में लाए गए हैं :–

I. सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को सरकारी रक्त केन्द्रों के माध्यम से निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराया जाता है, परन्तु सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को जरूरत के दौरान प्रोसेसिंग शुल्क देकर निजी रक्त केन्द्रों से रक्त यूनिट प्राप्त करनी पड़ती है।

II. यह पाया गया है कि आयुष्मान पैनल में शामिल निजी अस्पताल/नर्सिंग होम, सरकारी रक्त केन्द्र से निःशुल्क रक्त यूनिट लेते हैं तथा आयुष्मान योजना में एक यूनिट रक्त के लिए रू0 2,000/– (दो हजार रूपये) का दावा करते हैं।

III. कतिपय निजी अस्पताल एवं निजी नर्सिंग होम, सरकारी रक्त केन्द्रों से निःशुल्क रक्त लेने के पश्चात् भी बीमा कंपनियों से रक्त यूनिट के शुल्क का दावा कर रहे हैं।

2. लोक स्वास्थ्य हित में पारदर्शी तरीके से रक्त की आपूर्ति के लिए निम्न वर्णित निर्णय लिए जाते हैं :–

I. सरकारी अस्पतालों के मरीजों के लिए सरकारी रक्त केन्द्रों द्वारा निःशुल्क रक्त इकाई उपलब्ध करायी जाएगी।

II. आयुष्मान योजना या किसी अन्य बीमा कंपनी से सूचीबद्ध निजी अस्पताल/ नर्सिंग होम, सरकारी रक्त केन्द्र से NBTC/SBTC के दिशा निर्देश के अनुसार शुल्क देकर रक्त इकाई ले सकते हैं।

III. निजी अस्पताल/नर्सिंग होम यदि सरकारी रक्त केन्द्र से निःशुल्क रक्त लेते हैं तो उन्हें अन्डरटेकिंग देनी होगी कि चिकित्साधीन मरीज आयुष्मान योजना या किसी अन्य बीमा कंपनी में सूचीबद्ध नहीं है और अत्यंत गरीब हैं, अन्यथा NBTC/SBTC के दिशा निर्देश के अनुसार प्रोसेसिंग चार्ज देकर निजी अस्पताल रक्त इकाई ली सकती है।

IV. प्रत्येक निजी अस्पताल के द्वारा अपने मरीजों के लिए रक्त की माँग के अनुसार रक्त शिविरों का आयोजन कर संलग्न रक्त केन्द्र के सहयोग से रक्त संग्रह नियमित रूप से करना अनिवार्य होगा।

V. निजी अस्पताल के द्वारा अगर रक्तदान शिविर नहीं लगाया जाता है तो कालान्तर में उक्त अस्पताल को रक्त नहीं देने संबंधी निर्णय पर विचार किया जा सकता है।

VI. झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति के द्वारा राज्य में रक्त यूनिटों की आवश्यकता के आधार पर सरकारी एवं निजी अस्पतालों के द्वारा किए जाने वाले रक्त संग्रहण का माहवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए मासिक समीक्षा की जाएगी, जिसका मासिक प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जाएगा।

3 सभी सिविल सर्जन एवं रक्त केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कराना सुनिश्चित करेंगे।

4 सभी उपायुक्त अपने स्तर से समय–समय पर रक्त केन्द्रों की समीक्षा कर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

5 इस संकल्प पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

(31)

ज्ञापांकः– 06/218/AIDS/2021 37 (4) राँची/दिनांक 20.11.2021

प्रतिलिपिः– सभी उपायुक्त/ निदेशक औषधि, झारखण्ड/ सभी सिविल सर्जन/ सभी रक्त केन्द्र प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.11.21

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः– 06/218/AIDS/2021 37 (4) राँची/दिनांक 20.11.2021

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राँची को सूचनार्थ झारखण्ड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः– 06/218/AIDS/2021 37 (4) राँची/दिनांक 20.11.2021

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं हक0), झारखण्ड, राँची/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः– 06/218/AIDS/2021 37 (4) राँची/दिनांक 20.11.2021

प्रतिलिपिः– उप सचिव सह नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः– 06/218/AIDS/2021 37 (4) राँची/दिनांक 20.11.2021

प्रतिलिपिः– मानीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव के सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।